रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93

REGD. NO. D.L.-33004/93



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 804] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 1993/पौष 10, 1915
No. 804] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 1993/PAUSA 10, 1915

IndiaCode

वाणिज्य मंत्रालय

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

आदेश

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1993

का०आ० 1056 (अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 तथा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विदेश व्यापार (कतिपय मामलों में नियमों के लागू होने से छूट) आदेश, 1993 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.—

इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) "आयात व्यापार विनियमन" से अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियम और किए गए आदेश तथा निर्यात और आयात नीति अभिप्रेत है,

(ग) "नियम" से विदेश व्यापार (विनियमन), नियम 1993 अभिप्रेत है;

(घ) उन शब्दों और पदों का, जो इस आदेश में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में है।

3 नियमों के लागू होने से छूट :—

(1) नियमों की कोई बात निम्नलिखित किन्हीं माल के आयात को लागू नहीं होगी.—

(क) रक्षा प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले और उसके द्वारा नियंत्रित अभिकरणों, उपक्रम द्वारा;

(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, कानूनी निगम, लोक निकाय या पूर्ति मंत्रालय के क्रय संगठनों के अभिकरण के माध्यम से संयुक्त स्टाक कंपनी के रूप में चल रहे सरकारी उपक्रम, अर्थात्, इंडिया सप्लाई मिशन, लंदन और इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन द्वारा ;

(ग) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी कानूनी निगम या लोक निकाय या संयुक्त स्टाक कंपनी के रूप में चल रहे सरकारी उपक्रम द्वारा, जिसकी बाबत आर्डर महानिदेशालय, पूर्ति और निपटान, नई दिल्ली के माध्यम से किए जाते हैं;

(ङ) पोतांतरण द्वारा या पहुंचने पर पुनः निर्यात के लिए आयातित और बंधित माल, जिन्हें नेपाल और भूटान को छोड़कर भारत के बाहर किसी देश को सामान पोत से भेजा जाता है या पूर्वोक्त रूप में पहुंचने पर पुनः निर्यात के लिए आयातित और बंधित माल किन्तु बाद में भारत मे राजनयिक कार्मिक, कौंसलीय आफिसरों तथा संयुक्त राष्ट्र संगठन और उसके विशिष्ट अधिकरणों के पदधारियों के, जो क्रमशः भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 3, तारीख 8 जनवरी, 1957 और संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के अधीन शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त है, उपयोग के लिए निर्मुक्त किया जाता है;

(च) आयातित और बंधित माल, जो पहुंचने पर अनुमोदित शुल्क-मुक्त दुकानों पर, चाहे बाहर जाने या बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए, निःशुल्क विदेशी मुद्रा में संदाय करके विक्रय के लिए हैं;

(छ) जो भारत के माध्यम से डाक द्वारा या अन्यथा अभिवहन में हैं या जिन्हें नेपाल और भूटान को छोड़कर भारत के बाहर किसी गंतव्य स्थान को डाक द्वारा या अन्यथा पुनः भेजा जाता है, परंतु यह तब जबकि भारत में रहने के दौरान ऐसे माल सदैव डाक या सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की अभिरक्षा में हों;

(ज) भारत के पार अफगानिस्तान के लिए वायु मार्ग द्वारा या नेपाल और भूटान को छोड़ कर भारत के बाहर किसी अन्य देश के लिए भूमि मार्ग द्वारा, शुल्क से छूट के लिए या पूर्णतः या भागतः शुल्क के प्रतिसंदाय के लिए या बांड के अधीन पारेषण के लिए;

परन्तु यह तब जबकि ऐसे माल का सरकार या भारत की सीमा वाले किसी देश द्वारा या उसकी ओर से आयात किया जाता है या आयातकर्ता किसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यह साक्ष्य प्रस्तुत करने का कि ऐसे माल भारत की सीमाओं के पार चले गए हैं या उसके व्यतिक्रम में ऐसी शास्ति का संदाय करने का, जो सीमाशुल्क का समुचित अधिकारी ऐसे माल पर अधिरोपित करना ठीक समझे, वचन देता है;

परन्तु यह और कि इस मद की किसी बात से किसी माल को आयात व्यापार विनियमों से छूट नहीं होगी;

(झ) पांच सौ टिकियों या ½ पौंड चूर्ण या एक सौ संपुटकों से अधिक कुनैन को छोड़कर, यात्री सामान के रूप में व्यक्ति द्वारा उस परिमाण तक जो तत्समय प्रवृत्त सामान नियमों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु किसी पर्यटक द्वारा आयात की दशा में, अति मूल्य की वस्तुएं, जिनका पुनः निर्यात पर्यटक सामान नियम, 1978 के नियम 7 के अधीन बाध्यकर है, उसके भारत छोड़ने पर पुनः निर्यात की जाएंगी, जिसके न होने पर ऐसे माल को ऐसे माल समझे जाएंगे जिनका आयात सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है :

परन्तु यह और कि किसी भी रूप में स्वर्ण का, जिसके अन्तर्गत जेवर भी हैं (किन्तु जिसके अन्तर्गत रत्नों या मोतियों से जड़े जेवर नहीं हैं) आयात भारतीय मूल के यात्रियों या पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) के अधीन जारी किए गए विभिन्नान्य पासपोर्ट धारण करने वाले यात्री द्वारा सामान के भागरूप में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, अनुज्ञात किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) स्वर्ण का आयात करने वाला यात्री विदेश में कम से कम छह मास की अवधि तक रुकने के पश्चात् भारत में आ रहा हो;

(ख) आयातित स्वर्ण की मात्रा प्रति यात्री पांच किलोग्राम से अधिक नहीं होगी;

(ग) स्वर्ण पर आयात शुल्क सपरिवर्तनीय विदेशी करेंसी में संदत्त किया जाएगा; और

(घ) ऐसे आयातित स्वर्ण के विक्रय पर कोई निबन्धन नहीं होगा।

(ञ) अपने वैयक्तिक उपयोग लिए डाक के माध्यम से या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा या अपने उपयोग के लिए किसी संस्था या अस्पताल द्वारा, सिवाय निम्नलिखित के :

(क) वजन में एक पौंड से अधिक वनस्पति बीज;

(ख) मधुकर;

(ग) चाय;

(घ) पुस्तकें पत्रिकाएं, जर्नल और साहित्य, जो तत्समय प्रवृत्त नीति के अधीन आयात किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं है;

(ङ) ऐसे माल, जिनका आयात नीति के अधीन व्यवस्थित किया जाता है;

(च) मद्यसारिक पेय;

(छ) अग्न्यायुध और गोलाबारूद;

(ज) उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक मदें (श्रवण-सहाय और प्राणरक्षक उपस्कर, यंत्र और साधित्र तथा उसके पुर्जों को छोड़कर);

परन्तु किसी एक समय में यथापूर्वोक्त आयातित माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य दो हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।

(ट) राजनयिक कार्मिक, कौंसलीय आफिसरों और भारत में व्यापार आयुक्तों द्वारा या उनकी ओर से, जिन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 3, तारीख 8 जनवरी, 1957 के अधीन सीमा-शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त है;

(ठ) किसी भी ऐसे देश से, जिसे सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 20 के अधीन या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 113, तारीख 16 मई, 1957, सं० 103, तारीख 25 मार्च, 1958, सं० 260 और सं० 261, तारीख 11 अक्तूबर, 1958, सं० 269, सं० 271, सं० 273, सं० 274, सं० 275 और सं० 276, तारीख 25 अक्तूबर, 1958 और सं० 204, तारीख 2 अगस्त, 1976 के अथवा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 174, तारीख 24 सितम्बर, 1966 या अधिसूचना सं० 103, तारीख 16 मई, 1978, या अधिसूचना सं० 80, तारीख 29 अगस्त, 1970 के अधीन पुनः आयात किए जाने पर सीमा-शुल्क से छूट प्राप्त है;

(ड) भारतीय विनिर्माण के माल और ऐसे माल के विदेश निर्मित पुर्जे, विनिर्माता द्वारा निर्यातित और परेषिती से मरम्मत तथा पुनःनिर्यात करने के लिये वापस लिये गये माल:

परन्तु यह तब जब कि—

(i) सीमा शुल्क प्राधिकारियों का यह समाधान हो जाए कि उक्त विनिर्माताओं द्वारा वापस लिये गये माल वही हैं जो इस प्रकार निर्यात किये गये थे; और

(ii) सीमा-शुल्क अधिसूचना सं. 132, तारीख 8 सितम्बर, 1961 के अधीन पुनः आयात किये जाने पर सीमा-शुल्क से छूट प्राप्त माल से भिन्न माल की दशा में, आयातकर्ता द्वारा संबंधित पत्तन पर सीमा-शुल्क प्राधिकारी के पास इस आशय का एक बंधपत्र निष्पादित किया जाता है कि इस प्रकार आयातित माल की मरम्मत के पश्चात् छह मास के भीतर पुनः निर्यात किया जायेगा;

(ढ) संयुक्त राष्ट्र संगठन और उसके विशिष्ट अधिकरणों के पदधारियों द्वारा, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के अधीन सीमा-शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त है;

(ण) फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा, जिसे भारत सरकार और फोर्ड प्रतिष्ठान के बीच हुए करार के अधीन सीमा-शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त है;

(ङ) प्राइवेट सड़क यान अस्थाई आयात सीमा-शुल्क अभिसमय के अनुच्छेद 1 में यथापरिभाषित यान या उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट उसके सघटक पुर्जे होने के कारण, जिन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना स. 296, तारीख 2 अगस्त, 1976 के अधीन सीमा-शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त है ;

परन्तु यह तब जब कि--

(1) ऐसे यान या सघटक पुर्जे उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो सीमा-शुल्क प्राधिकारी अनुज्ञात करे, पुन निर्यात किये जाते हैं ,

(2) ऐसे यान या सघटक पुर्जों के सबध में उक्त अधिसूचना के या 'ट्रिप्टिक या कार्नेट-डे-पैसेज" अनुज्ञापत्र के उपबधो का उल्लघन नहीं किया जाता है

परन्तु यह और कि इस मद की किसी बात से माल के आयात को प्रभावित करने वाले किसी अन्य प्रतिषेध या विनियम के, जो ऐसे माल के आयात किये जाने के समय प्रवृत्त हो, उक्त यानो या सघटक पुर्जों को लागू किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ,

(ण) ऐसे माल होने के कारण, जो अस्थायी रूप से मेलो, प्रदर्शनियो या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना स 157/90, सीमाशुल्क, तारीख 28 मार्च, 1990 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट समरूप घटित व्यापारों में प्रदर्शित या उपयोग करने के लिये 10 जुलाई, 1963 को ब्रुसेल्स में किये गये माल के अस्थायी प्रवेश (ए टी ए कन्वेंशन) के लिये ए टी ए कार्नेटस सीमा-शुल्क अभिसमय के अधीन ए टी ए कार्नेटस सहित आयात किये जाते है

परन्तु यह तब जब कि--

(1) ऐसे माल का, निकासी या ऐसी बढाई गई अवधि का जो केन्द्रीय सरकार प्रत्येक मामले में अनुज्ञात करे, तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, निर्यात किया जाता है, और

(2) उक्त अधिसूचना या ए टी ए कन्वेंशन के उपबन्धो का उल्लघन नहीं किया जाता है :

परन्तु यह और कि इस मद की किसी बात से माल के आयात को प्रभावित करने वाले किसी अन्य प्रतिषेध या विनियम के जो ऐसे माल का आयात करने के समय प्रवृत्त हो, उक्त माल को लागू किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(त) नेपाल की हिज मैजस्टी की सरकार द्वारा जारी की गई आयात अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाले माल और आयातकर्ता सीमा शुल्क के समुचित अधिकारी को ऐसे अधिकारी द्वारा विहित प्ररूप किसी अनुसूचित बैंक में प्रतिभू के रूप में इस आशय का एक बधपत्र देता है कि वह शुल्क का संदाय करेगा और सपूर्ण माल या उसके किसी ऐसे भाग को बाबत, जिसके बारे में यह साबित नहीं हुआ है कि वह नेपाल के राज्यक्षेत्र में गया है, आयात व्यापार नियंत्रण विनियम का उल्लघन करने के लिये अधिरोपित शास्ति का संदाय करेगा ;

(थ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मरम्मत और विदेश में भारतीय दूतावासो को या किसी विदेश में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य कार्यालय को पुन निर्यात करने के लिये भारतीय विनिर्माण के या माल ,

(द) भारतीय खाद्य निगम द्वारा, खाद्यान्न होने के कारण :

परन्तु यह तब जब कि निकासी के समय इस आशय की एक घोषणा कि प्रपत्रपत्र आयात का केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया है, आयातकर्ता द्वारा सीमा शुल्क प्राधिकारियो को दी जाती है,

(ध) खाद्य की वस्तुएं और आय सामग्री होने के कारण, जिस का प्रदाय सयुक्त राष्ट्र सगठन द्वारा अनुमोदित अभिकरणो द्वारा दान के रूप मे मुफ्त किया जाता है और जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना स सा का.नि 766, तारीख 21 जून, 1975 के अधीन सीमा-शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त हैं।

(2) इन नियमो की कोई बात निम्नलिखित माल को लागू नहीं होगी —

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन निर्यातित कोई माल ,

(ख) किसी बाहर जाने वाले जलयान या प्रवहण के सामान या उपस्कर के रूप में खाद्य पदार्थ से भिन्न कोई माल,

(ग) भारत के बाहर जाने वाले किसी व्यक्ति के वास्तविक वैयक्तिक सामान के रूप में कोई माल, (जिनके अतर्गत किसी जलयान या प्रवहण में का कोई यात्री या किसी दल का सदस्य भी है) ;

परन्तु वन्य जीव (मृत, जीवित या उसका भाग या उसका उत्पाद) ऐसे वैयक्तिक सामान के रूप में नहीं माना जायेगा –

(घ) डाक प्राधिकारियो द्वारा जारी की गई डाक सूचना मे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन डाक द्वारा या वायुयान द्वारा निर्यातित कोई माल ,

(ङ) भारत में किसी पत्तन पर, भारत के बाहर के किसी पत्तन से भेजने के समय ऐसे पोतान्तरण के लिये अभिव्यक्त किये जाने के पश्चात् पोतांतरित कोई माल :

(च) भारत मे पहुचने पर नेपाल और भूटान को छोड़कर भारत के बाहर किसी देश को पुन निर्यात करने के लिये आयातित और बंधित माल ,

(छ) भारत के माध्यम से डाक द्वारा अभिग्रहण मे कोई माल या डाक द्वारा नेपाल और भूटान को छोड़कर भारत के बाहर किसी गतव्य स्थान के लिये पुन भेजे गये कोई माल,

परन्तु यह तब जब कि भारत मे रहने के दौरान ऐसे माल सदैव डाक प्राधिकारियो की अभिरक्षा मे हो ,

(ज) किसी विधिमान्य आयात अनुज्ञप्ति के बिना आयात किये गये और समुचित सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा ऐसे माल के निर्यात के लिये किये गये आदेश के अनुसार निर्यातित कोई माल :

(झ) द्विपक्षीय करार के अन्तर्गत आने वाले टैक्सटाइल मदों को छोड़कर, सबंधित मुक्त व्यापार जोनों और शतप्रतिशत निर्यात उन्मुख एककों में विनिर्मित होने के लिये अनुमोदित और उनसे निर्यातित उत्पाद, जिन्हे वार्षिक व्यापार प्रोटोकाल के प्रावधान रुपया संदाय करने वाले देशों को निर्यात किया जाता है और भारतीय रुपयो में संदाय नहीं रुपया संदाय करने वाले पूर्ववर्ती देशो को निर्यात किया जाता है ,

परन्तु निर्यात उन्मुख एककों या निर्यात प्रसंस्करण जोन एकक संबंधी अनुमोदन की शर्तों द्वारा अधिरोपित शर्तें ऐसे किसी एकक पर लागू होकर होगी .

(ञ) ब्लड ग्रुप ओं एच (मुबई फीनोटाइप) का निर्यात, जिसका अभिप्राय मानवीय आधारों पर प्राणरक्षक उपाय के रूप मे निदेशक, नेशनल ब्लड ग्रुप रेफरेन्स लेबोरेट्री, मुबई द्वारा, उसके द्वारा प्रत्येक मामले में इस आशय के जारी किए गए विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र के आधार पर, वैज्ञानिक अनुसंधान या आपात चिकित्सा उपचार के लिए है,

(ट) स्नेहक तेल, सयोज्य, ल्यूब तेल, कच्चा तेल और अन्य संबंधित पेट्रोलियम उत्पादो और कच्ची सामग्रियो के, जिनका उपयोग ल्यूब्रीजोल्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा ल्यूब सयोज्य विनिर्मित करने के लिए किया जाता है, नमूनो का भारत में उनके संस्थापन से संयुक्त राज्य अमेरिका और युनाइटेड किंगडम में मूल्यांकन और परीक्षण प्रयोजनो के लिए ल्यूब्रीजोल के प्रयोगशालाओ को निर्यात ।

[फाइल स. 21/11/92—एन. एस.]

डा. पी. एन. सजीवरेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Director General of Foreign Trade)

ORDER

New Delhi, the 31st December, 1993

S.O. 1056(E).—In exercise of the powers conferred by section 3, read with section 4, of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) and in supersession of the Imports (Control) Order, 1955 and the Exports (Control) Order, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Goverament hereby makes the following Order, namely :—

1. Short title and commencement.—

(1) This Order may be called the Foreign Trade (Exemption from application of Rules in certain cases) Order, 1993.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—

In this Order, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992);

(b) "Import Trade Regulations" means the Act and the rules and order made thereunder and the export and import policy;

(c) "Rules" means the Foreign Trade (Regulation) Rules, 1993;

(d) Words and expressions used in this Order and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Exemption from the application of rules —

(1) Nothing contained in the Rules shall apply to the import of any goods.—

(a) by the Central Government or agencies, undertakings owned and controlled by the Central Government for Defence purposes;

(b) by the Central Government or any State Government Statutory Corporation, public body or Government Undertaking run as a Joint Stock Company through the agency of the Purchase Organisations of the Ministry of Supply, that is India Supply Mission, London and India Supply Mission, Washington;

(c) by the Central Government, any State Government or any statutory corporation or public body or Government undertaking run as a Joint Stock Company, orders in respect of which are placed through the Directorate General, Supplies and Disposals, New Delhi;

(d) by transhipment or imported and bonded on arrival for re-export as ships stores to any country outside India except Nepal and Bhutan or imported and bonded on arrival for re-export as aforesaid but subsequently released for use of Diplomatic personnel, Consular Officers in India and the officials of the United Nations Organisation and its specialised agencies who are exempt from payment of duty under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 3 dated 8th January, 1957 and the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947) respectively;

(e) imported and bonded on arrival for sale at approved duty-free shops, whether to outgoing or incoming passengers, against payments in free foreign exchange;

(f) which are in transit through India by post or otherwise, or are redirected by post or otherwise to a destination outside India, except Nepal and Bhutan provided that such goods while in India are always in the custody of the postal or customs authorities;

(g) for transmission across India by air to Afghanistan or by land, to any other country outside India, except Nepal and Bhutan under claim for exemption from duty or for refund of duty either in whole or in part :

Provided that such goods are imported by or on behalf of the Government or a country bordering on India or that the importer undertakes to produce within a specified period evidence that such goods have crossed the borders of India or in default to pay such penalty as the proper officer of customs may deem fit to impose on such goods ;

Provided further that nothing contained in this item will exempt any goods from the Import Trade Regulations;

(h) by the person as passenger baggage to the extent admissible under the Baggage Rules for the time being in force except quinine exceeding five hundred tablets or 1|3 lb powder or one hundred ampoules :

Provided that in the case of imports by a tourist, articles of high value whose re-export is obligatory under rule 7 of the Tourist Baggage Rules, 1978 shall be re-exported on his leaving India, failing which such goods shall be deemed to be goods of which the import has been prohibited under the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

IndiaCode

Provided further that the import of gold in any form including ornaments (but excluding ornaments studded with stones or pearls) will be allowed as part of baggage by passengers of Indian origin or a passenger holding a valid passport issued under the Passports Act, 1967 (15 of 1967) subject to the following conditions namely :—

(a) that the passenger importing the gold is coming to India after a period of not less than six months of stay abroad;

(b) the quantity of gold imported shall not exceed 5 Kilograms per passenger;

(c) import duty on gold shall be paid in convertible foreign currency; and

(d) there will be no restriction on sale of such imported gold.

(i) by any person through the post or otherwise for his personal use, or by any institution or hospital for its use except —

(a) vegetable seeds exceeding one lb. in weight;

(b) bees;

(c) tea;

(d) books, magazines, journals and literature which are not allowed to be imported under the Policy for the time being in force;

(e) goods, the import of which is canalised under the Policy;

(f) alcoholic beverages;

(g) fire arms and ammunition;

(h) consumer electronic items (except hearing aids and life saving equipments, apparatus and appliances and parts thereof) :

Provided that the c.i.f. value of goods imported as aforesaid at any one time shall not exceed rupees two thousand.

(j) by or on behalf of Diplomatic personnel, consular officers and Trade Commissioners in India who are exempted from payment of Customs duty under Notification No. 3 dated the 8th January, 1957 of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue);

(k) from any country, which are exempted from Customs duty on re-importation under section 20 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or under Customs Notification Nos. 113 dated 16th May, 1957, 103 dated 25th March, 1958, 260 and 261 dated 11th October, 1958, 269, 271, 273, 274, 275 and 276 dated 25th October, 1958 and 204 dated 2nd August, 1976, of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), or Notification No. 174 dated the 24th September, 1966 or Notification No. 103 dated the 16th May, 1978, of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) or Notification No. 80 dated 29th August, 1970;

(l) of Indian manufacture and foreign made parts of such goods, exported and received back by the manufacturer from the consignee for repair and re-export :

Provided that —

(i) the customs authorities are satisfied that the goods received back by the said manufacturers are the same which were so exported; and

(ii) in the case of goods other than those exempted from customs duty on re-importation under Customs Notification No. 132 dated 9th December, 1961, a bond is executed by the importer with the customs authority at the port concerned to the effect that the goods thus imported will be re-exported after repair within six months;

(m) by officials of the United Nations Organisation and its specialised agencies who are exempted from payment of Customs duty under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947);

(n) by the Ford Foundation who are exempt from payment of Customs duty under an Agreement entered into between the Government of India and the Ford Foundation;

(o) being vehicles as defined in Article I of the Customs Convention on the Temporary Importation of Private Road Vehicles or the component parts thereof referred to in Article 4 of the said Convention and which are exempted from payment of customs duty under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 296 dated the 2nd August, 1976 :

Provided that—

(i) such vehicles or component parts are re-exported within the period specified in the said notification or within such further period as the customs authorities may allow;

(ii) the provisions of the said notification or of the "triptyque or Carnet-De-Passage" permit are not contravened in relation to such vehicle or component parts;

Provided further that nothing contained in this item shall prejudice the application to the said vehicles or component parts of any other prohibition or regulation affecting the import of goods that may be in force at the time of import of such goods;

(p) being goods imported temporarily for display or use in fairs, exhibitions or similar events specified in Schedule I to the notification of the Government of India in the

Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 157|90|CUSTOMS, dated the 28th March, 1990 against ATA Carnets under the Customs Convention on the ATA Carnets for temporary admission of goods (ATA Convention) done at Brussels on the 30th July, 1963;

Provided that.—

(i) such goods are exported within a period of six months from the date of clearance or such extended period as the Central Government may allow in each case; and

(ii) the provisions of the said notification or of the ATA convention are not contravened :

Provided further that nothing contained in this item shall prejudice the application to the said goods of any other prohibition or regulation affecting the import of goods that may be in force at the time of import of such goods;

(q) covered by an import licence issued by His Majesty's Government of Nepal and the importer furnishes a bond to the proper officer of customs in the form prescribed by such officer with a Scheduled Bank as surety to the effect that he shall pay the duty and pay penalty imposed for contravening Import Trade Regulations in respect of the whole or any portion of the goods which is not proved to have entered the territory of Nepal;

(r) of Indian manufacture or by the Central Government or any State Government for repair and re-export to Indian Embassies abroad or to any other office of the Central Government or State Government in a foreign country;

(s) being foodgrains, by Food Corporation of India :

Provided that at the time of clearance, a declaration to the effect that the import in question has been approved by the Central Government, is furnished by the importer to the Customs authorities;

(t) being articles of food and edible material, which are supplied as free gift by the agencies approved by the United Nations Organisation and which are exempted from payment of customs duty under the Notification of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. GSR 766, dated 21st June, 1975.

(2) Nothing contained in the Rules shall apply to—

(a) any goods exported by or under the authority of the Central Government;

(b) any goods other than food-stuffs constituting the stores or equipment of any outgoing vessel or conveyance;

(c) any goods constituting the bona fide personal baggage of any person, including a passenger or member of a crew in any vessel or conveyance, going out of India :

Provided that the Wild Life (dead, alive or part thereof or produce therefrom) shall not be treated as part of such personal baggage;

(d) any goods exported by post or by air under the conditions specified in postal notice issued by the Postal Authorities;

(e) any goods transhipped at a port in India after having been manifested for such transhipment at the time of despatch from a port outside India;

(f) any goods imported and bonded on arrival in India for re-export to any country outside India, except Nepal and Bhutan;

(g) any goods in transit through India by post or any goods re-directed by post to a destination outside India except Nepal and Bhutan :

Provided that such goods while in India are always in the custody of the postal authorities;

(h) any goods imported without a valid import licence and exported in accordance with an order for the export of such goods made by the proper officer of Customs;

(i) products approved for manufacture in and export from the respective Free Trade Zones/Export Processing Zones and 100 per cent Export Oriented Units except textile item covered by bilateral agreements, exports to Rupee Payment Countries under the Annual Trade Protocol and Exports against payment in Indian Rupees to former Rupee Payment Countries :

Provided that conditions imposed by the Board of Approval on an Export Oriented Unit of Export Processing Zone unit will be binding on such a unit;

(j) Export of Blood group Oh (Bombay Phonotype) meant for scientific research or emergency medical treatment, as life saving measure on humanitarian grounds by the Director, National Blood Group Reference Laboratory, Bombay on the basis of a certificate issued by him to this effect in each case;

(k) export of samples of lubricating oil additives, Lube Oil, crude oil and other related petroleum products and raw materials used to manufacture Lube Additives by Lubrizols India Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, and Bharat Petroleum Corporation Limited, from their installation in India to Lubrizol's Laboratories in the United States of America and the United Kingdom for evaluation and testing purposes.

[File No. 21|11|92-LS]

DR. P. L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1993

का. आ. 1057 (अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को ऐसे परिसर में प्रवेश करने और ऐसे माल, दस्तावेजों, चीजों और प्रवहणों की तलाशी लेने, उनका निरीक्षण करने और उन्हें अभिगृहीत करने के संबंध में, जो विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) नियम, 1993 के नियम 17 में विनिर्दिष्ट हैं, उसमें विहित अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए, शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी का पदनाम
1.	विदेश व्यापार महानिदेशक ।
2.	विदेश व्यापार अपर महानिदेशक ।
3.	विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक ।
4.	विदेश व्यापार उपमहानिदेशक ।
5.	विदेश व्यापार सहायक महानिदेशक ।
6.	आयात-निर्यात नियंत्रक ।

[फा. सं. 21/11/92-एल. एस.]
डा. पी. एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1993

S.O. 1057(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), the Central Government hereby authorises the officers specified in the Table below to exercise powers with respect to entering such premises and searching, inspecting and seizing of such goods, documents, things and conveyances as are specified in rule 17 of the Foreign Trade (Regulation) Rules, 1993, subject to the requirements prescribed therein.

TABLE

S. No.	Designation of officer
1.	Director General of Foreign Trade
2.	Additional Director General of Foreign Trade
3.	Joint Director General of Foreign Trade
4.	Deputy Director General of Foreign Trade
5.	Assistant Director General of Foreign Trade
6.	Controller of Imports and Exports

[F.No. 21/11/92-LS]
P.L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1993

का. आ. 1058 (अ)—केन्द्रीय सरकार, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 797 (अ), तारीख 15 अक्तूबर, 1990 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, धारा 11 के साथ पठित धारा 13 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में ऐसे अधिकारियों के सामने विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी का पदनाम	माल का मूल्य जिसके संबंध में शक्ति का प्रयोग किया जा सकेगा
(1)	(2)	(3)
1.	विदेश व्यापार अपर महानिदेशक	कोई सीमा नहीं ।
2.	विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक	10 लाख रुपए तक ।
3.	विदेश व्यापार उप महानिदेशक	5 लाख रुपए तक ।
4.	विदेश व्यापार सहायक महानिदेशक	2 लाख रुपए तक ।
5.	आयात-निर्यात नियंत्रक	2 लाख रुपए तक ।

[फा. सं. 21/11/92—एल. एस.]
डा. पी. एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1993

S.O. 1058(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) and in supersession of Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 797(E), dated 15th October, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby authorises the officers specified in column 2 of the Table below for the purposes of exercising powers under section 13 read with section 11, subject to the limits specified against such officers in the corresponding entry in column 3 of the said Table, namely :—

TABLE

Sl. No.	Designation of officer	Value of the goods in relation to which the power may be exercised.
1	2	3
1.	Additional Director General of Foreign Trade	Without limit
2.	Joint Director General of Foreign Trade	Upto Rs. 10 lakhs
3.	Deputy Director General of Foreign Trade	Upto Rs. 5 lakhs
4.	Assistant Director General of Foreign Trade	Upto Rs. 2 lakhs
5.	Controller of Imports & Exports	Upto Rs. 2 lakhs

[File No. 21/11/92-LS]
DR. P.L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1993

का. आ. 1059(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत और उक्त सारणी के

स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट न्यायनिर्णायक प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील प्राधिकारी के रूप में कृत्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम सं.	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का पदनाम	
1	2	3
1.	आयात-निर्यात नियंत्रक	विदेश व्यापार अपर महानिदेशक
2.	विदेश व्यापार सहायक महानिदेशक	
3.	विदेश व्यापार उप-महानिदेशक	
4.	विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक	
5	विदेश व्यापार अपर महानिदेशक	अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, जिसे उस मंत्रालय के दो संयुक्त सचिवों और एक निदेशक द्वारा सहायता दी जाएगी।

[फा. सं. 21/11/92—एक्स.]

डा. पी. एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1993

S.O. 1059(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 15 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), the Central Government hereby authorises the officers specified in column 3 of the Table below to function as Appellate Authority against the orders passed by the Adjudicating Authorities authorised by the Central Government under section 13 of the said Act and specified in column 2 of the said Table.

TABLE

S. No.	Designation of Adjudicating authority	
1	2	3
1.	Controller of Imports & Exports	Additional Director General of Foreign Trade
2.	Assistant Director General of Foreign Trade	
3.	Deputy Director General of Foreign Trade	
4.	Joint Director General of Foreign Trade	
5.	Addl. Director General of Foreign Trade	Additional Secretary in the Ministry of Commerce aided by two Joint Secretaries and a Director of that Ministry.

[File No. 21/11/92-LS]

DR. P.L. SANJ . V REDDY, Director General of Foreign Tr Je and Ex-Officio Addl. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1993

का. आ. 1060(अ).—महानिदेशक, विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 9 की उपधारा (2) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी में उल्लिखित अधिकारियों को, माल के आयात या निर्यात के प्रयोजनों के लिए कोई अनुज्ञप्ति देने या नवीकरण करने या देने का नवीकरण से इंकार करने या उसे निलंबित करने या रद्द करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

सारणी

क्र. सं.	अधिकारियों का पदनाम	ये राज्यक्षेत्र जिनको सामान्य अधिकारिता का प्रयोग किया जाना है।
(1)	(2)	(3)
1.	अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार	संपूर्ण भारत
2	निर्यात आयुक्त	संपूर्ण भारत
3.	संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार	
	(क) महानिदेशक, विदेश व्यापार, मंत्रालय, नई दिल्ली।	संपूर्ण भारत
	(ख) क्षेत्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारी।	ऐसे प्राधिकारी की अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता।
4.	उपमहानिदेशक, विदेश व्यापार	
	(क) महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुख्यालय, नई दिल्ली।	संपूर्ण भारत
	(ख) क्षेत्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारी	ऐसे प्राधिकारी की अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता।
5	सहायक महानिदेशक, विदेश व्यापार :	
	(क) महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुख्यालय।	संपूर्ण भारत
	(ख) क्षेत्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारी	ऐसे प्राधिकारी की अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता।
6.	आयात और निर्यात नियंत्रक	
	(क) महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुख्यालय।	संपूर्ण भारत।
	(ख) क्षेत्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारी	ऐसे प्राधिकारी की अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता।

IndiaCode

(1)	(2)	(3)
7.	मुक्त व्यापार जोन या निर्यात प्रसंस्करण जोन के विकास आयुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त/उप विकास आयुक्त/सहायक विकास आयुक्त।	ऐसे प्राधिकारी की अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता।

[फा. सं. 21/11/92-एल. एस.]

डा. पी. एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

ORDER

New Delhi, the 31st December, 1993

S.O. 1060(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (4) of section 9 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), the Director General authorises the officers mentioned in the Table below to grant or renew or refuse to grant or renew or to suspend or to cancel a licence for the purposes of import or export of goods.

TABLE

S. No.	The designation of the Officers	The Territorial areas in respect of which the jurisdiction is to be exercised
1	2	3
1.	Additional Director General of Foreign Trade	Throughout India
2.	The Export Commissioner	Throughout India
3.	The Joint Director General of Foreign Trade :	
	(a) In the Headquarters Office of the Director General of Foreign Trade, New Delhi	Throughout India
	(b) In the Regional Licensing Authority	Respective territorial jurisdiction of such authority.
4.	The Deputy Director General of Foreign Trade :	
	(a) In the Headquarters Office of the Director General of Foreign Trade, New Delhi	Throughout India
	(b) In the Regional Licensing Authority.	Respective territorial jurisdiction of such authority.
5.	The Assistant Director General of Foreign Trade :	
	(a) In the Headquarters Office of the Director General of Foreign Trade.	Throughout India
	(b) In the Regional Licensing Authority	Respective territorial jurisdiction of such authority.
6.	The Controller of Imports and Exports :	
	(a) In the Headquarters Office of the Director General of Foreign Trade	Throughout India
	(b) In the Regional Licensing Authority	Respective territorial jurisdiction of such authority.
7.	The Development Commissioner/ Joint Development Commissioner/ Deputy Development Commissioner/ Assistant Development Commissioner of a Free Trade Zone or an Export Processing Zone.	Respective territorial jurisdiction of such authority.

[File No. 21/11/92-LS]

DR. P.L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade

आदेश

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1993

का. आ. 1061(अ).—महानिदेशक, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी में उल्लिखित अधिकारियों को उपर्युक्त धारा के उपबंधों के अनुसार आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्यांक प्रदान करने के लिए प्राधिकृत करते है।

सारणी

क्र. सं.	अधिकारियों का पदनाम	वे राज्यक्षेत्र जिनको बाबत अधिकारिता का प्रयोग किया जाना है
(1)	(2)	(3)
1.	अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार	संपूर्ण भारत
2.	निर्यात आयुक्त	संपूर्ण भारत
3.	संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार :	
	(क) महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुख्यालय, नई दिल्ली।	संपूर्ण भारत
	(ख) क्षेत्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारी।	ऐसे प्राधिकारी की अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता।
4.	उपमहानिदेशक, विदेश व्यापार	
	(क) महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुख्यालय, नई दिल्ली।	संपूर्ण भारत
	(ख) क्षेत्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारी	ऐसे प्राधिकारी की अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता।
5.	सहायक महानिदेशक, विदेश व्यापार :	
	(क) महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुख्यालय।	संपूर्ण भारत
	(ख) क्षेत्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारी	ऐसे प्राधिकारी की अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता।

(1)	(2)	(3)
6. आयात और निर्यात नियंत्रक		
	(क) महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुख्यालय।	संपूर्ण भारत
	(ख) क्षेत्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारी	ऐसे प्राधिकारी की अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता।
7. मुक्त व्यापार जोन या निर्यात प्रसंस्करण जोन के विकास आयुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त/उप विकास आयुक्त/सहायक विकास आयुक्त।		ऐसे प्राधिकारी की अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता।

[फा. सं. 21/11/92—एल. एस.]

डा. पी. एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

ORDER

New Delhi, the 31st December, 1993

S.O. 1061(E)—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), the Director-General authorises the officers mentioned in the table below to grant importer-expoter code number in accordance with the provisions of the aforesaid section.

TABLE

S. No.	The designation of the Officers	The Territorial areas in respect of which jurisdiction is to be exercised.
1	2	3
1.	Additional Director General of Foreign Trade	Throughout India
2.	The Export Commissioner	Throughout India
3.	The Joint Director General of Foreign Trade:	
	(a) In the Headquarters Office of the Director General of Foreign Trade, New Delhi	Throughout India
	(b) In the Regional Licensing Authority	Respective territorial jurisdiction of such authority.
4.	The Deputy Director General of Foreign Trade:	
	(a) In the Headquarters Office of the Director General of Foreign Trade, New Delhi	Throughout India
	(b) In the Regional Licensing Authority	Respective territorial jurisdiction of such authority.
5.	The Assistant Director General of Foreign Trade.	
	(a) In the Headquarters Office of the Director General of Foreign Trade.	Throughout India
	(b) In the Regional Licensing Authority	Respective territorial jurisdiction of such authority
6.	The Controller of Imports and Exports:	Throughout India
	(a) In the Headquarters Office ofthe Director General of Foreign Trade	
	(b) In the Regional Licensing Authority	Respective territorial jurisdiction of such authority
7.	The Development Commissioner/ Joint Development Commissioner/ Deputy Development Commissioner/ Assistant Development Commissioner of a Free Trade Zone or an Export Processing Zone.	Respective territorial jurisdiction of such authority

[File No. 21/11/92-LS]

Dr. P.L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994